तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 12, 14 से 16 की सम्मन तामील पूर्व में असालतन प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की जा चुकी है। उक्त प्रतिवादीगण बावजूद तामील आज तक हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 12, 14 से 16 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने मौका रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर पत्रावली दिनांक 20.09.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
20.09.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय द्वारा भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से चाही गई राजीनामा के अनुसार खातेदारान् के मौके के कब्जे की खसरेवार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक स्पेशल –2/भू. अ./2023 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली की गई। वादी अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से चाही गई राजीनामा के अनुसार खातेदारान् के मौके के कब्जे की खसरेवार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उक्त प्राप्त मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा से सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त मौके के कब्जे की खसरेवार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु वाद पत्र में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी उक्त द्वारा प्राप्त मौके के कब्जे की खसरेवार मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा से सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु अनापत्ति पेश की। वकील वादी के निवेदन एंव वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

—लगातार—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	सूरजप्रकाश बनाम किशोर हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं. -127/2021
	के आधार पर प्रकरण को बहस में लिया जाकर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक स्पेशल –2/भू.अ./2023 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा प्राप्त मौके के कब्जे की खसरेवार मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Rathore 20/09/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
127 / 2021	2021 / 291	05.10.2021	20.09.2023

उनवान प्रकरण

1. सुरजप्रकाश आयु 60 वर्ष पुत्र चिमनलाल जाति पंजाबी निवासी वार्ड नम्बर 18 पंजाबियों का मौहल्ला श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादी——

बनाम

1. किशोर पुत्र रामलाल आयु 61 वर्ष जाति पंजाबी निवासी वार्ड नम्बर 18, पंजाबियो का मौहल्ला श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. लक्ष्मी पुत्री रामलाल आयु 68 वर्ष
3. सीता पुत्री रामलाल आयु 63 वर्ष
4. शांति पुत्री रामलाल आयु 63 वर्ष
5. सुषमा पुत्री रामलाल आयु 60 वर्ष
6. संतोष पुत्री रामलाल आयु 55 वर्ष
7. शमी पुत्री रामलाल आयु 45 वर्ष

समस्त जाति पंजाबी निवासीगण वार्ड नम्बर 18 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

8. किशनी पुत्री चिमनलाल आयु 73 वर्ष जाति पंजाबी निवासी वार्ड नम्बर 7 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
9. शकुन्तला पुत्री चिमनलाल आयु 70 वर्ष जाति पंजाबी निवासी वार्ड नम्बर 22 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

10. टेकचन्द पुत्र चिमनलाल आयु 68 वर्ष जाति पंजाबी निवासी वार्ड नम्बर 18 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

11. देवी पुत्री चिमनलाल आयु 52 वर्ष जाति पंजाबी निवासी वार्ड नम्बर 18 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

12. अशोक कुमारी पुत्री ठाकरदास आयु 63 वर्ष जाति पंजाबी निवासी वार्ड नम्बर 22 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

13. नगरपालिका जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

14. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

15. सबरजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

16. पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

--प्रतिवादीगण --

उपस्थित :--

श्री सरदार सिंह कुडी प्रथम, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री सॉवर मल महला, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 की ओर से।

श्री रक्षपाल स्वामी, एड0 प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से

दावा बाबत घोषणा, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0

--:: निर्णय ::--

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवाद इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.22

20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हैक्टर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.17 हैक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसमे वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 8 ता 11 व इनकी मृत्तक माता बेसरी देवी पत्नी चिमनलाल का 1/3 हिस्सा हैं एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 व इनकी मृत्तक माता देवीबाई पत्नी रामलाल का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 12 का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त वर्णित भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 8 ता 11 की माता खातेदार बेसरी पत्नी चीमनलाल का स्वर्गवास हो चुका हैं। जिसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 8 ता 11 है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 की माता खातेदार देवीबाई पत्नी रामलाल का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 है। उक्त वर्णित भूमिया वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 12 की राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी में केवल मात्र दर्ज है लेकिन मोके पर उक्त भूमियो का वादी एवं प्रतिवादीगण ने बाह्मी बंटवारा कर रखा हैं तथा बाह्मी बंटवारा के अनुसार उक्त वर्णित भूमियों में से भूमि खसरा 223 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टर सम्पूर्ण भूमियो में से 4/9 हिस्सा वादी व प्रतिवादी नम्बर 8, 9, 11 के हक हिस्से एवं अधिकार में एवं 5/9 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के हक हिस्से एवं अधिकार में मोके पर आया हुआ हैं तथा भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.22 हैक्टर सम्पूर्ण भूमियों में से 1866/2200 हिस्सा की भूमि (उत्तरी तरफ की) प्रतिवादी नम्बर 12 के तथा शेष हिस्सा 344/2200 हिस्सा की भूमि (दक्षिण तरफ की) प्रतिवादी नम्बर 10 के हक हिस्से एवं अधिकार में मौके पर आयी हुयी हैं। वादी अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमियों में अलग से सींव नींव कायम कर सीमाओं को सुरक्षित कर रखा हैं। मौके पर अपनी हक हिस्से व अधिकार की भूमिया जो पूर्व में काफी उबड खाबड टीलेनुमा थी। उसकी ट्रेक्टरो से लेवल कराकर उपयोगी बनाने में कई लाखो रूपये खर्च कर उन्नत एवं उपजाऊ व विकसित किया हैं। जो प्रतिवादीगण की जानकारी में शुरू से ही है तथा उक्त अपनी भूमियों की खातेदारी भी राजस्व रिकार्ड में वादी अपने नाम से अलग से दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी हैं। जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व खलल पैदा करने के प्रतिवादीगण एवं अन्य को कोई कानूनी अधिकार संयुक्त खातेदारी के रिकार्ड में नहीं हैं, ना ही प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादग्रस्त भूमियो के किसी विशिष्ठ भू–भाग को बेचान करने तथा बंटवारा को भंग कर विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा करने तथा भूमियो को रहन अन्तरण, मुंतकिल करने तथा कृषि भूमियो को बिना विभाजन व बिना भू–रूपान्तरण परिवर्तन के कृषि भूमियो को गैर कृषि उपयोग में करने के अधिकार नही हैं, ना ही अजनबी केतागण बिना विभाजन के भूमियों में प्रवेश करने के कोई कानूनी अधिकार रखते हैं। इसलिये वादी अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमियो की खातेदारी अलग से दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को कब्जे काश्त में मजाहमत नही करने बाबत वादी जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का कानूनी अधिकारी है। दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिकी फरमाया जावें कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.17 हैक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर का उक्त वर्णितानुसार बंटवारे की घोषणा की जाकर भूमि खसरा नम्बर 223 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टर सम्पूर्ण भूमियो में से 4/9 हिस्सा वादी व प्रतिवादी नम्बर 8, 9, 11 के हक हिस्से एवं अधिकार में एवं 5/9 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के हक हिस्से एवं अधिकार में मोके पर आया हुआ हैं तथा भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.22 हैक्टर सम्पूर्ण भूमियों में से 1866/2200 हिस्सा की भूमि (उत्तरी तरफ की) प्रतिवादी नम्बर 12 के तथा शेष हिस्सा 344/2200 हिस्सा की भूमि (दक्षिण तरफ की) प्रतिवादी नम्बर 10 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार खातेदारी दर्ज की जावे व इसमें दर्ज मृत्तक खातेदार बेसरी देवी पत्नी चीमनलाल, देवीबाई पत्नी रामलाल का नाम हजफ किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावें कि वे उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.17 हैक्टर खसरा नम्बर 224 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में कोई मजाहमत ना तो स्वयं करना ही दीगर से करावें, ना ही उक्त भूमि पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें ना ही दीगर से करावे। कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करें या ऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादी के हक हकूको पर कोई विपरित असर पडता हो एवं प्रतिवादीगण नम्बर 13 ता 16 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। इसलिए वाद वास्ते तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 13 की ओर से श्री रक्षपाल स्वामी एड0 उपस्थित आये एंव जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। जवाब हेतु अवसर दिये गये। बावजूद अवसरों के जवाब दावा पेश नहीं किये जाने पर जवाबदेही बन्द की जाती है। वकील वादी ने उपस्थित होकर पक्षकारान् की ओर से दिनांक 05.09.2023 को राजीनामा पेश किया। जिसमें उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 व 10 की पहचान तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 जरिये मुख्त्यार खास किशोर पुत्र रामलाल व प्रतिवादी संख्या 11 जरिये मुख्त्यार खास सुरजप्रकाश पुत्र चिमनलाल की पहचान एंव प्रतिवादीगण संख्या 1, 8 व 9 की ओर से राजीनामा प्रतिवादीगण वकील श्री सॉवर मल महला एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान् व मुख्तयार खास के द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 12, 14 लगायत 16 की सम्मन तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 222, 223, 224 कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर की मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से मॅगवाये जाने का पेश किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद के वास्तविक निर्णय निर्धारण हेतु वादग्रस्त आराजी भूमियों की मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक 3458 / रीडर / 2023 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मे भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से मौका जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि :–

वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.17 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 224 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना मौके पर हक हिस्से एवं मुताबिक वादी व प्रतिवादीगणों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार मौके के कब्जे की खसरेवार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पृथक – पृथक करते हुए तैयार कर प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निम्नानुसार प्रेषित किये गये हैं:–

01.	1. किशनी पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/8 2. शकुन्तला पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/8 3. टेकचन्द पुत्र चिमनलाल हिस्सा 1/8 4. देवी पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/8 5. किशोर पुत्र रामलाल हिस्सा 1/14 6. लक्ष्मी पुत्री रामलाल हिस्सा 1/14 7. सीता पुत्री रामलाल हिस्सा 1/14 8. शांति पुत्री रामलाल हिस्सा 1/14 9. सुषमा पुत्री रामलाल हिस्सा 1/14 10. सन्तोष पुत्री रामलाल हिस्सा 1/14	223 224 222/1	0.1700 0.1700 0.0334	चाही0ए चाही0ए चाही0ए	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	11. शमी पुत्री रामलाल हिस्सा 1/14 समस्त जाति पंजाबी सा0 देह खातेदार				
	योग खाता	किता–3	0.3734		
02	अशोक कुमारी पुत्री ठाकरदास जाति पंजाबी सा0 देह खातेदार	222/2	0.1866	चाही0ए	

प्रकरण में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से फर्द मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से प्राप्त खातेदारान् के मौके पर हक हिस्से के अनुसार प्रस्तावित भूमियों का मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार प्राप्त प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त प्रस्ताव व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार प्रकरण में अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगणों ने उक्तानुसार ही पक्षकारान् का विधिक बंटवारा किये जाकर उसी अनुसार उद्घोषणा किये जाने बाबत सहमति व्यक्त की गई। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर व साक्ष्य नहीं ली जाकर प्रकरण को सीधे ही बहस में लिया गया। वकील वादी ने वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण को स्वीकार किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगणों ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति जाहिर की। वकील प्रतिवादीगणों की सहमति के आधार पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् हेतु पत्रावली रखी गई।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रतिवादी द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा दिनांकित 05.09.2023 का राजीनामा, मुख्तारनामा खास कुल चार प्रतियों एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमियों का वादी व प्रतिवादीगणों के मध्य विधिक विभाजन अभी तक नहीं कराया जाना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियों पर वादी व प्रतिवादीगण का अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर लगातार काश्त किया जाना प्रकट होता है। प्रकरण में पक्षकारान् वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से हाजिर न्यायालय होकर कुल चार राजीनामे पेश कर तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। वादी व प्रतिवादीगण ने अपने मध्य हुए राजीनामों में अंकित विवरणानुसार उक्त वादपत्र का निस्तारण करवाना चाहते है तथा राजीनामों में अंकित विवरणानुसार ही पक्षकारान् मौके पर काबिज होकर अपनी–अपनी भूमियों को काश्त करते चले आना प्रमाणित होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियों का पक्षकारान् के द्वारा सैटलमेंट बाहमी बंटवारा किया जाकर उसी अनुसार मौके पर अपने – अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त होना प्रकट होता है। जो भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा से भी प्रमाणित होता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में पेश किये गये राजीनामा व भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पर दी गई सहमति के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा, तकारस्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा, तकारस्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौका कमिश्नर के रूप में राजस्व अधिकारी भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व इसके साथ ... स्थित ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.17 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 224 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 हैक्टर भूमि का भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नजरी नक्शा संलग्न सूचि पर पक्षकारान् की सहमति के आधार पर निम्न प्रकार से वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

01.	1. किशनी पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/8 2. शकुन्तला पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/8 3. टेकचन्द पुत्र चिमनलाल हिस्सा 1/8 4. देवी पुत्री चिमनलाल हिस्सा 1/8 5. किशोर पुत्र रामलाल हिस्सा 1/14 6. लक्ष्मी पुत्री रामलाल हिस्सा 1/14 7. सीता पुत्री रामलाल हिस्सा 1/14 8. शांति पुत्री रामलाल हिस्सा 1/14 9. सुषमा पुत्री रामलाल हिस्सा 1/14 10. संतोष पुत्री रामलाल हिस्सा 1/14	223 224 222/1	0.1700 0.1700 0.0334	चाही0ए चाही0ए चाही0ए	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

20/01/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	11. शमी पुत्री रामलाल हिस्सा 1/14 समस्त जाति पंजाबी सा0 देह खातेदार					
	योग खाता	किता–3	0.3734			
02	अशोक कुमारी पुत्री ठाकरदास जाति पंजाबी सा0 देह खातेदार	222/2	0.1866	चाहीएए		

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में अलग से बट्टा नम्बर दर्ज करते हुए पृथक से लगान कायम किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी अलग–अलग दर्ज राजस्व रिकार्ड की जावे। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का भाग बनाया जाता है। भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Rathore 20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)